निरीक्षण आख्या **कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी, भीमताल (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

कार्यालय **कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी, भीमताल (नैनीताल)** के माह 12/14 से 04/16 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरविन्द्र शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 16.05.2016 से 27.05.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.12.2014 से 17.12.2014 तक श्री रणवीर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिससे माह 04/2011 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 12/2014 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा-

1. श्री जगमोहान सिंह कफोला दिनांक 01.07.2014 से लगातार

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ)	भाग-दो(ब)	STAN
42/2009-10	1,2,3,4,5	1,2	-
35/2011-12	-	1	-
132/2014-15	1	1,2,3	-

(स) सतत् अनियमिततायेः- शून्य

(द) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): शून्य

6. बजटः

(धनराशि ₹ लाख में)

Year	Op. Balance		Allotment		Total Fund		Expenditure		Clo. Balance	
	Plan	**Non Plan**	**Plan**	**Non Plan**	**Plan**	**Non Plan**	**Plan**	**Non Plan**	**Plan**	**Non Plan**
2013-14	50.00	-	2792.26	449.48	2842.26	449.48	2842.26	449.48	-	-
2014-15	74.06	-	5172.13	414.11	5246.19	414.11	5246.19	414.11	-	-
2015-16	-	-	3084.86	437.22	3084.86	437.22	3084.86	437.22	-	-
2016-17 (Up to 04/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**124.06**	**-**	**11049.25**	**1300.81**	**11173.31**	**1300.81**	**11173.31**	**1300.81**	**-**	**-**

भाग 2 ब

प्रस्तर 1 :– रू0 119.98 लाख की धनराशि का कुल 4999 लाभार्थियों के खाते में अवितरित रहना।

कोषागार से आहरित वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि को तुरन्त लाभार्थियों के खाते में हस्तगत किया जाना चाहिए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, भीमताल (नैनीतल) के वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि माह मार्च 2016 में रू0 1,19,98,400 की धनराशि कोषागार से आहरित की गयी। उक्त आहरित धनराशि को कुल 4999 लाभार्थियों के खाते में आनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना था। जांच में पाया गया कि बी0 एम0 5 में भी यह धनराशि दिनांक 22 मार्च 2016 को बिल न0 628 द्वारा कोषागार से आहरित दर्शायी गयी है। सभी लाभार्थियों का खाता बैंक आफ बड़ौदा में है जहां से कुछ लाभार्थियों के खाते की जांच में पाया गया कि उक्त पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं की गयी है।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये बताया गया कि उक्त धनराशि कोषागार से आहरित तो हुई है परन्तु कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है एवं ना ही लाभार्थियों के खाते में स्थान्तरित की गई है। उक्त धनराशि के सम्बन्ध में कोषागार/डाटा सेन्टर से पत्राचार किया गया है, परन्तु कोषागार द्वारा अभी इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं हो पाया हैं। भविष्य में जांच कर धनराशि प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी।

अतः रू0 119.98 लाख की धनराशि का लाभार्थियों के खाते में अवितरित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2 :– रू0 10.50 लाख की भुगतान प्राप्ति रसीद एवं निर्धारित प्रपत्र प्राप्त न किया जाना।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार उत्पीड़न **के संबंध में** आर्थिक सहायता हेतु धनराशि के वितरण आदेशों में यह निर्देश दिये गये हैं कि भुगतान से पूर्व संबंधित व्यक्तियों से संलग्न निर्धारित प्रपत्र भराकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा कराकर जाति प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लें। तथा भुगतान प्राप्ति की स्वयं प्रमाणित रसीद अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, भीमताल (नैनीतल) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः रू0 6.90 लाख एवं रू0 3.60 लाख की धनराशि कुल 10 एवं 17 लाभार्थियों में वितरित की गयी। अभिलेखों में उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार न तो निर्धारित प्रपत्र संलग्न हैं और इकाई द्वारा न ही भुगतान प्राप्ति की स्वयं प्रमाणित रसीद प्राप्त की गयी थी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये बताया गया कि चैक भुगतान हेतु प्रेषित किये गये है किन्तु भुगतान प्राप्ति की स्वंय प्रमाणित रसीद अप्राप्त है।

अतः कुल रू0 10.50 लाख की भुगतान प्राप्ति रसीद एवं निर्धारित प्रपत्र प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 3 :– रू0 116.31 लाख का उपभोग प्रमाण–पत्र एवं विद्यालयों में अवशेष पड़ी धनराशि को वापस प्राप्त न किया जाना।

इकाई की अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एवं विकलांग छात्रवृत्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 (कक्षा 6 से 8 हाईस्कूल/इन्टर) में आबंटित धनराशि क्रमशः रू0 72.98 लाख एवं 74.07 लाख के सापेक्ष क्रमशः रू0 62.15 लाख एवं रू0 62.79 लाख की धनराशि का ही उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। अतः वर्ष 2013–14 में 10.83 लाख एवं वर्ष 2014–15 में 11.88 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र लम्बित है। श्रेणी वार विवरण निम्नवत हैः–

श्रेणी	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15	
	आवंटन धनराशि	धनराशि जिसका उपभोग प्रमाणपत्र लम्बित है	आवंटन धनराशि	धनराशि जिसका उपभोग प्रमाणपत्र लम्बित है
अनु0जाति	6362040	594660	6469470	737190
अनु0जनजाति	138840	46680	333960	174600
पिछड़ी जाति	428000	204000	346100	129700
विकलांग	370000	238480	258000	87300
योग	7298880	1083820	7407530	1128790

इसी प्रकार वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 (प्रा0/जूनि0 विद्यालय) में आबंटित धनराशि क्रमशः रू0 168.33 लाख एवं 153.35 लाख के सापेक्ष क्रमशः रू0 114.70 लाख एवं रू0 112.78 लाख की धनराशि का ही उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। अतः वर्ष 2013–14 में 53.63 लाख एवं वर्ष 2014–15 में 40.57 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र लम्बित है। श्रेणी वार विवरण निम्नवत हैः–

श्रेणी	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15	
	आवंटन धनराशि	धनराशि जिसका उपभोग प्रमाणपत्र लम्बित है	आवंटन धनराशि	धनराशि जिसका उपभोग प्रमाणपत्र लम्बित है
अनु0जाति	15701760	4872780	14203680	3725820
अनु0जनजाति	397560	277260	397560	177040
पिछड़ी जाति	733990	213300	733900	154160
योग	16833220	5363340	15335140	4057020

इस प्रकार वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्रमशः कुल 241.31 लाख एवं 227.42 लाख की धनराशि छात्रवृति के लिये आबंटित की गयी है जिसके सापेक्ष क्रमशः 64.46 लाख एवं 51.85 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित है।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये बताया गया कि असमायोजित धनराशि के समायोजन विद्यालय द्वारा मंगा लिए जायेंगे एवं अवशेष धनराशियों को वापस मंगाने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

अतः रू0 116.31 लाख का उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न किया जाना एवं विद्यालयों में अवशेष पड़ी धनराशि को वापस प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 **(ब)**

प्रस्तर 4:– अधिकृत बी0पी0एल0 सूची के विपरीत किया गया अनियमित भुगतान रू0 39.25 लाख।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2006 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से उनकी बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिकाओं को उनके नाम से रू0 25000 संशोधित राशि रू0 50000/अप्रैल 2014 से राष्ट्रीय बचत पत्र कन्याधन के रूप में उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से आय का प्रमाण पत्र जिनकी वार्षिक आय 15976 से कम हो या बी0पी0एल0 प्रमाणपत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन कराके एवं शहरी क्षेत्र में यह प्रमाण पत्र विभाग के सक्षम अधिकारी जैसे तहसीलदार स्तर के होने चाहिए, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, भीमताल (नैनीताल) के अभिलेखों की नमूना जांच में Vol-II P/324 पाया गया कि वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 में कुल 344 पात्र लाभार्थियों को रू0 25000 की दर से कुल रू0 86.00 लाख का भुगतान किया जाना था जिसे बजट के अभाव में उक्त वर्ष में वितरित नहीं किया जा सका था। वर्ष 2015–16 में बजट प्राप्त होने पर उक्त राशि वितरित की गयी। साथ ही वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का भी भुगतान इसी वर्ष 2015–16 में किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	पात्र लाभार्थियों की संख्या			लाभार्थियों की संख्या जो अधिकृत बी0पी0एल0 सूची में नहीं थे, जिनको भुगतान किया गया	भुगतान की दर	कुल योग
	बी0पी0एल0	कम आय	कुल			
2013–14	104	240	344	07	25000	175000
2014–15	271	317	588	62	50000	3100000
2015–16	683	57	740	13	50000	650000
योग	1158	614	1672	82		3925000

आगे जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक कुल 1672 में से 1158 बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थी थे जिनमें 82 लाभार्थी ऐसे पाये गये जो शासन द्वारा वर्ष 2011–12 में निर्गत की गयी अधिकृत बी0पी0एल0 सूची Vol-I KD/P-322 to 298 से मेल नहीं खा रहे थे जिनको कुल रू0 39.25 लाख को अनियमित भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा कि विकास खण्ड अधिकारी द्वारा सभी बिन्दुओं की जांच कर लाभार्थियों का प्राथर्ना पत्र भेजा जाता है जिसकी इकाई द्वारा पुनः जांच की जाती है। वर्ष 2011–12 के पश्चात कोई भी बी0पी0एल0 सूची शासन द्वारा निर्गत नहीं की गयी है।

विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि 82 लाभार्थी ऐसे थे जोकि बी0पी0एल0 सूची से मेल नहीं खा रहे थे। इसके बावजूद खण्ड विकास अधिकारी एवं इकाई द्वारा दोनों स्तरों पर इन्हें प्रमाणित करते हुए भुगतान किया गया।

अतः रू0 39.25 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर .5:– रू0 6.34 लाख का अलाभकारी व्यय।

अटल आवास योजना आवासीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को शतः प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को प्राथमिकता के अधार पर लाभान्वित करना है जो ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास, दीन दयाल उपाध्याय, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गया हो। इस योजना में उन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे परिवारों को लाभ प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय रू0 32000 से कम हो। योजना को भौगोलिक रूप से पर्वतीय एवं मैदानी श्रेणी के अन्तर्गत बाटा गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों को रू0 38500 एवं मैदानी क्षेत्र के लाभर्थियों को रू0 35000 की राशि दो किश्तों मे वितरित की जानी है। दोनों क्षेत्रों को प्रथम किश्त रू0 23500 प्रदान किये जाने का प्रावधान था। द्वितीय किश्त क्रमशः रू0 15000 एवं रू0 11500 की राशि कार्य की भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त ही दूसरी किश्त जारी की जायेगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, भीमताल (नैनीताल) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 क्रमशः 75 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में रू0 17.62 लाख एवं 34 लाभार्थियों को रू0 7.99 लाख वितरित की गयी। वर्ष 2014–15 में द्वितीय किश्त के रूप में 48 लाभार्थियों को रू0 6.74 लाख वितरित की गयी जबकि कुल 27 लाभार्थी जिसकी राशि रू0 3. 66 लाख (पर्वतीय–2.40 एवं मैदानी–1.26) अवितरित थी एवं वर्ष 2015–16 में द्वितीय किश्त की राशि का वितरण नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि वर्ष 2014–15 में प्रथम किश्त की सत्यापन रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी स्तर से प्राप्त न होने के कारण उसकी द्वितीय किश्त जारी नहीं की गयी एवं वर्ष 2015–16 में बजट के अभाव में द्वितीय किश्त जारी नहीं की गयी।

विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इकाई के पास वर्ष 2014–15 में पर्याप्त बजट उपलब्ध था एवं द्वितीय किश्त हेतु प्रथम किश्त की सत्यापन रिपोर्ट इकाई द्वारा विकास खण्ड स्तर से प्राप्त नहीं की गयी। इस प्रकार कुल 27 लाभार्थी जिनको प्रथम किश्त की राशि रू0 23500 (कुल रू0 6.34 लाख) व्यय होने के बावजूद विभाग की उदासीनता के कारण लाभार्थियों को उक्त योजना से वंचित रहना पड़ा।

अतः रू0 6.34 लाख का अलाभकारी व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- ₹ 1,11,50,000.00 की धनराशि बिना शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्राप्त किये ही लाभार्थियों को वितरित किया जाना।

शासनादेश सं. 1919/**XVII-1/2013-01(98)2011** दिनांक 25.06.2013 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹ 15000 से अधिक नहीं है अथवा बी.पी.एल. परिवार के संबंधित है को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एक मुशत ₹ 50,000 की धनराशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है तथा शासनादेश सं. **1277/XVII-2/14-10(38) 2000** दिनांक **11.11.2014** द्वारा निर्देश दिये गये थे, की पात्र निराश्रित विधावाओं को अनुदान की स्वीकृत बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आवत, प्रथम पावत के आधार पर, उनकी पुत्रियों की शादी हेतु भी ₹ 50,000 मात्र दिया जायेगा।

उपरोक्त दोनों प्रकरणों में शादी का कार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिये था।

परन्तु लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल 223 लाभार्थियों को ₹ 1,11,50,000 की धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में शादी आर्थिक सहायता अनुदान मद से "बिना शदियों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों के प्राप्त किये ही" लाभार्थियों को भुगतान कर दी गई थी।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में इस आशय को स्वीकार करते हुए बताया किः- शादी का पंजीकरण नहीं लिया जाता है क्योंकि धनराशि हेतु आवेदन शादी से पूर्व किया जाता है तथा इस आशय का शपथ पत्र लिया जाता है कि शादी की सूचना झूठी पायी गई तो लाभार्थी से ब्याज सहित धनराशि की वसूली की जायेगी।

अतः उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि वास्तविक रूप से यह शादियाँ हुई है या नहीं, इस आशय का प्रमाण पत्र किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया था।

जबकि "अनिवार्य विवाह अधिनियम पंजीकरण 2005" के अनुसार भी विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है।

अतः ₹ 1,11,50,000 का भुगतान बिना शादियों के पंजीकरण के ही लाभार्थियों को किये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान/निराकरण स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें अलग से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **समाज कल्याण अधिकारी, भीमताल (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित की गई कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)